रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96 REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 72] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 1996/चैत्र 29, 1918
No. 72] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 1996/CHAITRA 29, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1996

आ० अ० 121 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि तारीख 30 मार्च, 1996 को उसकी अधिसूचना सं० 434/उ० प्र०-लो० स०/94(1)(2) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में :—

(क) मद सं० 29—बाराबंकी (अ० जा०) के सामने क्रम सं० 1 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर प्रविष्टि "खण्ड विकास अधिकारी, हैदरगढ़" प्रतिस्थापित की जाएगी,

(ख) मद सं० 29—बाराबंकी (अ० जा०) के सामने क्रम सं० 2 की प्रविष्टि के नीचे,

"3. चकबन्दी अधिकारी, सदर
4. खण्ड विकास अधिकारी, बंकी
5. खण्ड विकास अधिकारी, फतेहपुर"

प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी,

(ग) मद सं० 22—उन्नाव के सामने क्रम सं० 2 की प्रविष्टि के नीचे,

"3. तहसीलदार, सफीपुर
4. तहसीलदार, उन्नाव
5. सहायक बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी
6. तहसीलदार, पुरवा"

प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी,

(घ) मद सं० 30—कैसरगंज के सामने क्रम सं० 1 में प्रविष्टि के नीचे,

"2. खण्ड विकास अधिकारी, सिरौली घोसपुर
3. खण्ड विकास अधिकारी, रामनगर"

प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी,

(ङ) मद सं० 36—खलीलाबाद के सामने क्रम सं० 1 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएंगी,

(च) मद सं० 65—कानपुर के सामने क्रम सं० 1 की प्रविष्टि के नीचे]

"2. जिला कृषि अधिकारी, कानपुर नगर

3. उप निदेशक, हरिजन कल्याण, कानपुर नगर"

प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी,

(छ) मद सं० 32—मुजफ्फरनगर के सामने क्रम सं० 1 और 2 पर विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर,

"जिला विकास अधिकारी, मुजफ्फरनगर" और

"कृषि निदेशक (परासर) मुजफ्फरनगर"

प्रविष्टियां क्रमशः जोड़ी जाएंगी,

(ज) मद सं० 66—इटावा के सामने क्रम सं० 1 की प्रविष्टि के नीचे,

"अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, इटावा"

प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, और

(झ) मद सं० 6—अमरोहा के सामने क्रम सं० 2 की प्रविष्टि के नीचे

"3. तहसीलदार, धामपुर

4. खण्ड विकास अधिकारी, अकू नहटूर"

प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी ।

[सं० 434/उ० प्र०-लो०स०/96(1)(2)]

आदेश से,

सी० आर० ब्रह्मम, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1996

O.N. 121 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission hereby directs the following amendments shall be made in its Notification No. 434/UP-HP/94(1)(2) dated 30th March, 1996, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said Notification :—

(a) for the existing entries at S.No .1 against item No. 29—Barbanki (SC) the entry. "Block Development Officer, Haidergarh" shall be substituted,

(b) below entry at S.No. 2 against item 29—Barabanki (SC) the entries,

"3. Consolidation Officer, Sadar

4. Block Development Officer, Banki

5. Block Development Officer, Fatehpur"

shall be added,

(c) below entry at S.No. 2 against item No. 22—Unnao the entries

"3. Tahsildar, Safipur

4. Tahsildar, Unnao

5. Assistant Settlement Officer, Consolidation

6. Tahsildar, Purwa"

shall be added,

(d) below entry at S.No. 1 against item No. 30—Kaiserganj, the entries

"2. Block Development Officer, Sirauli Gauspur

3. Block Development Officer, Ram Nagar"

shall be added.

(e) for the existing entry at S.No. 1 against item No. 36—Khalilabad, the entry

"District Cane Officer, Basti"

shall be substituted.

(f) below entry at S.No. 1 against item No. 65-Kanpur the entries

"2. District Agriculture Officer, Kanpur Nagar

3. Deputy Director Harijan Kalyan, Kanpur Nagar"

shall be added

(g) for the existing entries at S Nos. 1 and 2 against item No. 82-Muzaffarnagar the entries

"District Development Officer. Muzaffarnagar" and

"Krshi Nideshak (Prasar) Muzaffarnagar" respectively

shall be substituted.

(h) below entry at S.No. 1 against item No. 66-Etawah the entry "Extra Magistrate, Etawah"

shall be added, and

(i) below entry at S.No. 2 against item No. 6-Amroha the entries

"3. Tahsildar, Dhampur.

4. Block Development Officer, Akoo Nahtour"

shall be added.

[F.No. 434/UP-HP/94(1)(2)]

By Order.

C. R. BRAHMAM, Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1996

आ० अ० 122 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि तारीख 4 अगस्त, 1995 की इसकी अधिसूचना सं० 434/उ० प्र०-लो० स०/94(1) में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः—

(क) क्रम सं० 4 पर, मद सं० 67—कन्नोज के सामने, उप-निदेशक, कृषि प्रसार, फर्रूखाबाद" प्रविष्टि और

(ख) क्रम सं० 1 पर, मद सं० 46—लालगंज (अ० जा०) के सामने, "मुख्य विकास अधिकारी," प्रविष्टि

क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० 434/उ० प्र०-लो०स०/96(1)]

आदेश से,

सी० आर० ब्रह्मम, सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 1996

O.N. 122 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs the following amendments shall be made in its Notification No. 434/UP-HP/94(1) dated 4th August, 1995, namely :—

In column 2 of the Table appended to the said Notification for the existing entries :—

(a) at S. No. 4 against item No. 67—Kannauj the entry "Deputy Director, Agriculture Extension, Farrukhabad" and

(b) at S. No. 1 item No. 46—Lalganj (SC) the entry "Chief Development Officer, Azamgarh".

respectively shall be substituted.

[F.No. 434/UP-HP/96(1)]

By Order.

C .R. BRAHMAM, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1996